

प्रमाण

जिला नगर योजनाकार  
जीन्द

सता में

जिलाधीश,  
जीन्द।

यादि क्रमांक 3654

दिनांक 8/11/15

विषय:- Request to issue No Objection Certificate for setting up of a New Retail outlet at proposed location in village Nagura on Kaithal-Jind road SH-12, Tehsil & Distt. Jind (Haryana) khasra no. 240//13/3, 14/3.

हवाला: आपके पत्र यादि क्रमांक 2672-81 ल.प.स. दिनांक 10.11.2015 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय एवं हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित रकबा गांव नगूरा की राजस्व सम्पदा के खसरा नं० 240//13/3, 14/3 में पड़ता है जो कि इस विभाग द्वारा घोषित किसी भी शहरी क्षेत्र तथा नियन्त्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः विषयक स्थल पर रिटेल आउटलैट चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. भविष्य में जब भी उपरोक्त भूमि को एक्ट नं० 41 ऑफ 1963 तथा एक्ट नं० 8 ऑफ 1975 के अधीन लिया जाएगा तो नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।
2. यह सूचना किसी दूसरे अन्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों / अधिनियमों में छूट प्रदान नहीं करती है।
3. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कार्यकारी अधिकारी, भवन एवं सड़क शाखा से पहुंच बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके साथ ही सड़क के साथ जो पवन विभाग की भूमि पड़ती है उनसे भी पहुंच बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

657  
9/12

1/12  
4/12

Akumar  
जिला नगर योजनाकार,  
जीन्द।

पृ० क्रमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति वरिष्ठ नगर योजनाकार, हिसार परिमण्डल, हिसार को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

1  
जिला नगर योजनाकार,  
जीन्द।